बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 – 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 4717 पटना, दिनांक 23/12/2022

आदेश

बंदोबस्त कार्यालय, अररिया के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु गठित भरगामा शिविर–02 में पदस्थापित श्री बैद्यनाथ मंडल, संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02139) के विरूद्ध रैयतों से भूमि सर्वे के कार्यो के निवटारा हेतु अवैध रूप से मोटी रकम की मांग करने का विडियो वायरल हुआ है।

उक्त वायरल विडियों के अवलोकनोपरांत रैयतों द्वारा लगाए गए आरोप के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 3093 दिनांक 08.11.2022 द्वारा आरोपित से संविदा नियोजन समाप्ति के विरूद्ध पत्र प्राप्ति के 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 4188 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा आरोपित पर लगाए गए आरोप से संबंधित वायरल विडियो की जांच हेतु राजस्व पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को इस निदेश के साथ प्रेषित किया गया कि वायरल विडियो में जो रैयत दिख रहे हैं, उनसे सम्पर्क कर मामले की जांच करते हुए अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

प्रस्तुत मामले से संबंधित जिला मुख्यालय स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारी द्वारा राजस्व पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

आरोपित पर लगाए गए आरोप के संदर्भ में जांच पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अन्य रैयतों द्वारा यह आरोप लगाया गया जाता रहा है कि अमीन रैयत की जमीन समेकित करने के एवज में पैसे की मांग करते हैं। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि याद्दाश्त् पंजी में हर दूसरा नया खेसरा को काटा गया है एवं उसे दूसरे खाते में समायोजित किया गया है। याद्दाश्त पंजी में व्हाइटनर का इस्तेमाल एवं काट–कूट अत्यधिक पायी गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जांच पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि वायरल विडियो में जो आरोप लगाया गया है, वो गलत और बेबुनियाद है जबकि जांच पदाधिकारी, जो स्थलीय निरीक्षण के उपरांत अपना जांच प्रतिवेदन समर्पित किए हैं, उसमें इन्हें वायरल विडियो के अनुरूप दोषी पाया गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा रैयतों के साथ भ्रष्टाचार जैसा कार्य किया गया है एवं सर्वे कार्यो में अनियमितता बरती गयी है। इनके इस प्रकार के कृत्य से सर्वे जैसे महत्वूपर्ण कार्य की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकार के कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर न पड़े, इसके दृष्टिगत इन्हें सेवा में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम – 8(4)"** में वर्णित प्रावधान के तहत श्री बैद्यनाथ मंडल, संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02139) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

(जय सिंह) 21/12/22

निदेशक

भू–अभिलेख एवंपरिमाप

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 4717 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्री बैद्यनाथ मंडल, संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02139), बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 4717 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(अररिया)–75 / 2020 4717 **पटना, दिनांक** :– 23/12/2022

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवंपरिमाप